24 7 2641

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTA

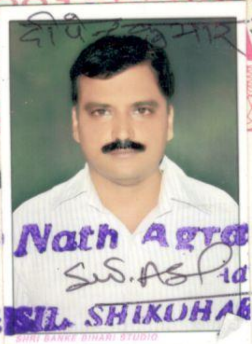

28 JAN 2016

CK 916734

Shiv Nath Agrawal
TAHSIL SHIKOHABAD

न्यास पत्र

मैं कि दीपेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री इन्द्रध्वज जैन निवासी 811 मौहल्ला मौहम्मद माह (निकट बड़ा डाकखाना) नगर व तहसील-- शिकोहाबाद, जिला-- फिरोजाबाद का हूँ। मैं और मेरा परिवार धार्मिक एवं सामाजिक कार्यो में रूचि रखता है और मैं जैन सम्प्रदाय/धर्म का मानने वाला अल्पसंख्यक व्यक्ति/नागरिक हूँ। मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि मैं समाज की उन्नति एवं भलाई के लिये एक ऐसा अल्पसंख्यक न्यास गठित करूँ, जिसके माध्यम से समाज के युवक युवतियाँ अपने नगर शिकोहाबाद में देशभक्ति से परिपूर्ण संस्कार युक्त उच्च तकनीकी एवं रोजगार परक शिक्षा प्राप्त करने के साथ–साथ सम्पूर्ण समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा कर सकें। इसके अतिरिक्त समाज हित में जनहितकारी कार्य करने के साथ–साथ समाज के निर्धन, अनाथ एवं दुर्वल वर्ग के असहाय व्यक्तियों तथा विधवाओं, अपंगों एवं निराश्रित व्यक्तियों के कल्याण के लिये भी कार्य कर सकूँ।

अतः मैंने अपनी मन की उक्त भावनाओं एवं विचारों के अनुकूल उनको सारवानरूप देने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है कि मैं एक न्यास का गठन करूँ। इस कारण मैं निम्न नाम आदि द्वारा निम्न प्रकार से न्यास का गठन इस न्यास पत्र के माध्यम से कर रहा हूँ और उक्त न्यास के पास वर्तमान में कोई चल या अचल सम्पत्ति नहीं है। उक्त न्यास का गठन किसी भी प्रकार से व्यक्तिगत लाभ के लिये नहीं किया जा रहा और उक्त न्यास को जो भी आय अथवा लाभ प्राप्त होगा, वह केवल न्यास के कार्यो एवं

Deependra Kumar Jain

रजिस्टर का क्रमांक 171 दिनांक 12-02-2016

स्टाम्प का मूल्य अंकों/शब्दों में 100 एक सौ

क्रेता का नाम दीपक कुमार जैन

पिता/पति का नाम श्री [illegible] जैन

पूर्ण व्यवहार/निवास का पता मो० [illegible] (निकट बड़ा इमामबाड़ा)

लेखपत्र का प्रकार

कुल किता 12 कुल कीमत 1200

हरीश कुमार वर्मा
स्टाम्प विक्रेता
लाइ० नं० 07-2005-06
तहसील परिसर, सिकोहाबाद (फिरोजाबाद)

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये Rs. 100
रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES
सत्यमेव जयते
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

28 JAN 2016 — उप कोषागार, शिकोहाबाद

CK 916735

(2)

न्यास के उद्देश्यों के प्रयोग में लिया जावेगा और किसी भी न्यासी को व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित होने का कोई अधिकार न होगा।

1– न्यास का नाम– बाल योगी मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज न्यास शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद (उ0प्र0)

2– न्यास का स्थायी पता– 811, मौहल्ला मोहम्मद माह (निकट बड़ा डाकखाना) शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद (उ0प्र0)

3– न्यास का कार्यक्षेत्र– सम्पूर्ण भारत वर्ष और न्यास की शाखा भारत वर्ष में किसी भी स्थान पर न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्थापित की जा सकेगी।

4– न्यास में लगाया गया धन– मुव0 10,000/– (दस हजार रूपया)

अतः मैं दीपेन्द्र कुमार जैन उपर्युक्त उक्त नाम व पता से एक अल्पसंख्यक न्यास की स्थापना मुव0 10,000/– (दस हजार रूपया) से कर रहा हूँ और उक्त न्यास में मेरे अतिरिक्त निम्न न्यासी होंगे और मैं अपने जीवन भर उक्त न्यास का प्रमुख न्यासी/मैनेजिंग ट्रस्टी रहूंगा। इस प्रकार उक्त वर्णित बाल योगी मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज न्यास के निम्न नाम व पता के न्यासी हैं व बनाये जाते हैं–

1– दीपेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री इन्द्रध्वज जैन निवासी 811 मौहल्ला मौहम्मद माह (निकट बडा डाकखाना) शिकोहाबाद (प्रमुख न्यासी/मैनेजिंग ट्रस्टी)
पहचानपत्र सं0– UP72/339/435271, Mob. No.- 9412157236

Deependra Kumar Jain

रजिस्टर का क्रमांक 172 दिनांक 12-02-2016
स्टाम्प का मूल्य 100 शामिल नम्बर 171
क्रेता का नाम दीपेन्द्र कुमार जैन
कुल कीमत
12 750

हरीश कुमार वर्मा
स्टाम्प विक्रेता
ला० न० 07-2008-09
तहसील परिसर, शिकोहाबाद (फिरोजाबाद)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 28 JAN 2016 CK 916736

2– श्रीमती नेहा जैन पत्नी श्री दीपेन्द्र कुमार जैन निवासिनी 811 मौहल्ला मौहम्मद माह (निकट बडा डाकखाना) शिकोहाबाद (न्यासी)
पहचानपत्र सं0– LMM2763555, Mob. No.- 9927532544

3– श्री इन्द्रध्वज जैन पुत्र स्व0 श्री कोटिध्वज जैन निवासी 811 मौहल्ला मौहम्मद माह (निकट बडा डाकखाना) शिकोहाबाद (न्यासी)
पहचानपत्र सं0– UP72/339/435267, Mob. No.- 9058307822

4– श्री योगेश कुमार जैन पुत्र श्री इन्द्रध्वज जैन निवासी 811 मौहल्ला मौहम्मद माह (निकट बडा डाकखाना) शिकोहाबाद (न्यासी)
पहचानपत्र सं0– UP72/339/435269, Mob. No.- 9319741222

उक्त वर्णित मुझ प्रमुख न्यासी एवं अन्य तीन न्यासी के अतिरिक्त अन्य कोई न्यासी वर्तमान में नहीं बनाया जा रहा है और न भविष्य में बनाया जावेगा। उक्त वर्णित प्रमुख न्यासी/मैनेजिंग ट्रस्टी के अतिरिक्त तीनों अन्य न्यासी अपनी सहमति एवं स्वीकृति के हस्ताक्षर इस न्यास पत्र के अन्त कर रहे है।

न्यास के उद्देश्य

1– समाज के युवकों एवं युवतियों विशेष रूप से अल्पसंख्यक जैन समाज हेतु राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण संस्कार युक्त उच्च तकनीकी एवं रोजगार परक शिक्षा की व्यवस्था करना।

2– मानव कल्याण एवं जनहित में कार्य करना।

Deependra Kumar Jain

रजिस्टर का क्रमांक 173 दिनांक 12-02-2016
स्टाम्प का मूल्य 100 शामिल नम्बर 171
क्रेता का नाम दीपक कुमार जैन
12 750

हरीश कुमार शर्मा
स्टाम्प विक्रेता
ला० नं० 07-2004-09
तहसील परिसर, शिकोहाबाद (फिरोजाबाद)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AX 816121

3– आम जनता में शिक्षा का प्रचार प्रसार करके शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। विद्यालय/उच्च शिक्षा संस्थान/स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों को प्रारम्भ करना। इन्जीनियरिंग एवं अन्य तकनीकी शिक्षा संस्थानों को प्रारम्भ करना और उनके माध्यम से आधुनिक शिक्षा पद्धति के आधार पर कम्प्यूटर आदि से शिक्षा देने एवं उनके प्रबन्धन एवं संचालन की भी ट्रेनिंग प्रदान करना।

4– न्यास के उद्देश्यों के अनुकूल जैन अल्पसंख्यक समाज के निर्धन, अनाथ, दुर्वल वर्ग के नागरिकों एवं बृद्धजनों, विधवा एवं निराश्रित महिलाओं तथा अनाथ बच्चों एवं अपंग/दिव्यांग व्यक्तियों के उत्थान/कल्याण हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये जाने वाले सहयोग/अनुदान/ऋण आदि के माध्यम से जैन समाज (अल्पसंख्यक समाज) के लिए समस्त जन कल्याणकारी योजनाओं को चलाना तथा उनको क्रियान्वित करना। जिससे ऐसे समस्त नागरिकों का समुचित उत्थान एवं विकास हो सके।

न्यास के धन सम्बन्धी कार्य एवं उसकी व्यवस्था

1– न्यास के द्वारा प्राप्त किये जाने वाले धन तथा व्यय होने वाले धन आदि का व्यावहारिक एवं वैधानिक रूप से हिसाब किताब रखने के उद्देश्य से सर्व प्रथम किसी राष्ट्रीय कृत बैंक में दो न्यासियों के नाम से खाता खोलना जिसमें प्रमुख न्यासी/मैनेजिंग ट्रस्टी निश्चित रूप से होंगे और शेष तीन न्यासियों में से कोई भी एक न्यासी जिसको प्रमुख न्यासी/मैनेजिंग ट्रस्टी

Deependra Kumar Jain

रजिस्टर का क्रमांक 174 दिनांक 12-02-2016

स्टाम्प का मूल्य 50 शामिल नम्बर 171

क्रेता का नाम दीपेन्द्र कुमार जैन

12 750

रीश कुमार वर्मा
स्टाम्प विक्रेता
ला0 न0 07-2008-09
तहसील परिसर, शिकोहाबाद (फिरोजाबाद)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AX 816117

उचित समझे के साथ मिलकर खाता खोला जा सकेगा और न्यास का समस्त लेन देन का कार्य न्यास के उक्त खाते के माध्यम से ही दोनों न्यासियों द्वारा संयुक्त रूप से अथवा प्रमुख न्यासी/मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा तन्हा रूप से भी किया जा सकेगा। लेकिन प्रमुख न्यासी/मैनेजिंग ट्रस्टी के बिना हस्ताक्षरों के कोई लेन–देन बैंक के किसी भी खाते से नहीं हो सकेगा।

2– संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकारी एवं गैर सरकारी वित्तीय संस्थानों (बैंक आदि) अथवा निजी व्यक्तियों से ऋण प्राप्त करने के साथ–साथ जनप्रतिनिधियों या अन्य से अनुदान/दान अथवा ऋण और उनसे समय–समय पर अन्य किसी भी प्रकार का सहयोग आदि प्राप्त करना।

उक्त न्यास में न्यास के न्यासियों की संख्या तथा उनकी नियुक्ति

1– यह कि यदि उक्त न्यासीयों में से किसी के द्वारा त्यागपत्र देने या किसी न्यासी का स्वर्गवास हो जाने पर प्रमुख न्यासी/मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा किसी भी नवीन व्यक्ति को जिसकी पूर्ण आस्था न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति में हो, को न्यासी नियुक्त किया जा सकेगा। लेकिन इस न्यास पत्र में उल्लखित चारों न्यासी उक्त वर्णित विपरीत परिस्थितियां के उत्पन्न न होने तक आजीवन न्यासी रहेगें।

2– यह कि यदि कोई न्यासी न्यास के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न करे अथवा न्यास के हितों के विपरीत किसी प्रकार का कोई कार्य करे तो ऐसे न्यासी को प्रधान न्यासी/मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा हटाया जा सकेगा।

Deependra Kumar Jain

रजिस्टर का क्रमांक 175 दिनांक 12-02-2016
स्टाम्प का मूल्य 50 शामिल नम्बर 171
क्रेता का नाम दीपेन्द्र कुमार जैन
कुल कीमत
12 750

हरीश कुमार वर्मा
स्टाम्प विक्रेता
ला0 न0 07-2008-09
तहसील परिसर, शिकोहाबाद (फिरोजाबाद)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AX 816118

3– यह कि यदि प्रधान न्यासी/मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा किन्हीं कारणों से पद त्याग किये जाने अथवा निधन/आकस्मिक निधन होने पर उसके स्थान पर वर्तमान प्रधान न्यासी/मैनेजिंग ट्रस्टी का ही उत्तराधिकारी मुख्य न्यासी/मैनेजिंग ट्रस्टी होगा या उसके द्वारा नामित कोई उत्तराधिकारी ही मुख्य न्यासी/मैनेजिंग ट्रस्टी होगा यानी मुख्य न्यासी/मैनेजिंग ट्रस्टी का उत्तराधिकारी ही भविष्य में मुख्य न्यासी/मैनेजिंग ट्रस्टी पीढ़ी दर पीढ़ी होगा। उसके उत्तराधिकारियों से बाहर का कोई न्यासी प्रधान न्यासी/मैनेजिंग ट्रस्टी नहीं बन सकेगा।

4– यह कि न्यास के न्यासियों के अतिरिक्त न्यास के सफल संचालन हेतु किसी भी प्रतिष्ठित एवं सामाजिक कार्यों में रूचि रखने वाले किसी भी महानुभाव को विशेष आमंत्रित के रूप में न्यास के सफल संचालन हेतु आमंत्रित किया जा सकेगा। लेकिन ऐसे विशेष आमत्रिंत व्यक्ति को न्यास की किसी मीटिंग में बोट देने का अधिकार न होगा।

<u>न्यास तथा न्यास की सम्पत्तियों का प्रबन्धन</u>

1– न्यास के प्रबन्धन एवं नियन्त्रण का पूर्ण अधिकार न्यासियों में निहित होगा और न्यासियों को न्यास के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिये आवश्यकीय सम्पत्ति समय–समय पर प्रमुख न्यासी/मैनेजिंग ट्रस्टी के माध्यम से क्रय करने अथवा किराया/लीज पर लेने का अधिकार होगा। अन्य किसी न्यासी को न्यास के नाम से सम्पत्ति क्रय करने आदि का अधिकार न होगा।

Deependra Kumar Jain

रजिस्टर का क्रमांक 176 दिनांक 12-02-2016
स्टाम्प का मूल्य 50 [illegible] नम्बर 171
क्रेता का नाम दीपक कुमार जैन
[illegible] 12 कुल कीमत 750

हरीश कुमार वर्मा
स्टाम्प विक्रेता
ला0 न0 07-2008-09
तहसील परिसर, शिकोहाबाद (फिरोजाबाद)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AX 816119

2– यह कि भविष्य में न्यास के पास किसी भी प्रकार की कोई अचल सम्पत्ति प्राप्त हो तो ऐसी अचल सम्पत्ति को न्यास के उद्देश्यों के अनुरूप उसमें निर्माण कार्य कराने अथवा ऐसी अचल सम्पत्ति जो कि न्यास के उद्देश्यों को पूर्ण करने में सहायक न हो तो ऐसी सम्पत्ति को विक्री करने का पूर्ण अधिकार प्रमुख न्यासी/मैनेजिंग ट्रस्टी को होगा और किसी सम्पत्ति को क्रय अथवा बिक्रय करने की जानकारी समस्त न्यासियों को देगें।

3– यह कि यदि न्यास के पास भविष्य में कोई धन किसी प्रकार से प्राप्त हो और उसका उपयोग न्यास के कार्यो में होने के उपरान्त शेष रहे तो ऐसा सभी धन किसी सरकारी जमा योजना अथवा ऐसे धन का उपयोग अचल सम्पत्ति क्रय करने अथवा निर्माण कराने में किया जावेगा। लेकिन ऐसे सभी कार्यों से न्यास की बैठक में अन्य न्यासियों को अवगत कराया जावेगा और प्रमुख न्यासी/मैनेजिंग ट्रस्टी की सहमति के आधार पर ही समस्त निर्णय कार्यान्वित किये जावेगें।

4– यह कि न्यास के समुचित प्रबन्ध एवं आय व्यय पर विचार करने के लिये प्रमुख न्यासी द्वारा समय–समय पर न्यास की मीटिंग बुलायी जावेगी और वर्ष में कम से कम चार मीटिंग न्यास की होगीं। जिससे न्यास का सम्पूर्ण कार्य भली प्रकार समस्त न्यासियों की पूर्ण जानकारी में हो।

5– यह कि न्यास की किसी भी मीटिंग में प्रमुख न्यासी/मैनेजिंग ट्रस्टी तथा कम से कम अन्य दो न्यासियों का मीटिंग में मौजूद रहना, मींटिग की गणपूर्ति के

Deependra Kumar Jain

रजिस्टर का क्रमांक 177 दिनांक 12-02-2016

स्टाम्प का मूल्य 50 शामिल नम्बर 171

क्रेता का नाम [illegible]

मुख्य विक्रेता

12 750

हरीश कुमार वर्मा
स्टाम्प विक्रेता
लाo नo 07-2008-09
तहसील परिसर, शिकोहाबाद (फिरोजाबाद)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये
रु.50

FIFTY RUPEES
Rs.50

सत्यमेव जयते
INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AX 816120

लिये आवश्यक है। समस्त मीटिंग की कार्यवाही प्रमुख न्यासी/मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा मिनिट बुक में लिखी जावेगी। जिससे प्रत्येक मीटिंग तथा उसमें लिये गये निर्णय का पालन किया जाना सुनिश्चित हो सके।

6– न्यास की सम्पत्ति या न्यास के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई अदालती विवाद उत्पन्न हो अथवा न्यास एवं न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु किसी सरकारी कार्यालय या स्थानीय निकाय में किसी प्रकार की कार्यवाही करना आवश्यक हो या किसी न्यायालय में वाद योजित करना पड़े अथवा न्यास के विरूद्ध वाद योजित होने पर उसको चलाने एवं डिफेन्ड करने का अधिकार प्रमुख न्यासी/मैनेजिंग ट्रस्टी अथवा उसके द्वारा नामित किसी अन्य न्यासी या किसी भी अन्य सक्षम व्यक्ति को विधि विधान के अनुसार नियुक्त किया जा सकेगा। ऐसे सभी विवादों में होने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में शेष न्यासियों को न्यास की अगली मीटिंग में अवगत कराया जावेगा।

7– यह कि न्यायालय में लम्बित वाद को वापस लेने या उनमें संधि करने तथा ऐसे सभी वादों में अधिवक्ता नियुक्त करने या किसी भी आदेश/निर्णय के विरूद्ध अपील/ रिवीजन/रिट योजित करने का अधिकार केवल प्रमुख न्यासी/मैनेजिंग ट्रस्टी को होगा।

Deependra Kumar Jain

रजिस्टर का क्रमांक 178 दिनांक 12-02-2016
स्टाम्प का मूल्य 50 शामिल नम्बर 11
क्रेता का नाम दीपक कुमार जैन
पुत्र श्री ...

हरीश कुमार वर्मा
स्टाम्प विक्रेता
ला0 न0 07-2008-09
तहसील परिसर, शिकोहाबाद (फिरोजाबाद)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AX 816122

न्यासियों के अधिकार एवं कर्तव्य

1– यह कि प्रधान न्यासी/मैनेजिंग ट्रस्टी न्यास के धन का समुचित प्रबन्ध करेगा तथा उससे होने वाली आय, लाभ एवं ब्याज को प्राप्त करके न्यास के उद्देश्यों में होने वाले व्यय तथा न्यास की देन दारियों का भुगतान करेगा। ऐसे सभी कार्यों के लिये प्रधान न्यासी/मैनेजिंग ट्रस्टी किसी भी अन्य न्यासी को अधिकृत कर सकता है। इसके लिये न्यास की बैठक या कोई प्रस्ताव पारित करने की आवश्यकता न होगी।

2– यह कि प्रधान न्यासी द्वारा किसी भी बैंक में खाता खोला जा सकेगा और न्यास के धन से समुचित लाभ प्राप्त करने के लिये धन को बैंक/पोस्ट ऑफिस की सावधि जमा योजना जिसमें अधिक से अधिक ब्याज मिलती हो, में जमा कराया जावेगा और बैंक/पोस्ट आफिस में खाता खोलने या सावधि में धन जमा कराने के लिये न्यास से कोई प्रस्ताव पारित कराने की आवश्कता न होगी।

3– यह कि न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये न्यासियों में से कोई भी न्यासी किसी भी भारतीय या भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति से स्वेच्छा पूर्वक दिया गया दान/उपहार अथवा मासिक या वार्षिक अंश दान न्यास के लिये प्राप्त कर सकेगा और ऐसे सभी दान बैंक के माध्यम से अथवा चैक या ड्राफ्ट द्वारा प्राप्त करने के साथ–साथ नगद भी रसीद द्वारा प्राप्त किये जा सकेगें।

Deependra Kumar Jain

रजिस्टर का क्रमांक 179 दिनांक 18-02-2016
स्टाम्प का मूल्य 50 शामिल नम्बर 71
क्रेता का नाम दीपेन्द्र कुमार जैन
कुल कीमत
18 7/50

हरीश कुमार वर्मा
स्टाम्प विक्रेता
ला0 न0 07-2008-09
तहसील परिसर, शिकोहाबाद (फिरोजाबाद)

यास पत्र

10,000.00	200.00	80	280.00	24
न्यास की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	पृष्ठों की संख्या

श्री दीपेन्द्र कुमार जैन
पुत्र श्री इन्द्रध्वज जैन
व्यवसाय व्यापार
निवासी स्थायी नि0 811 मौहम्मद माह निकट बडा डाकखाना शिको0
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 16/2/2016 समय 11:19AM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुनील कुमार
उपनिबन्धक शिकोहाबाद
फिरोजाबाद
16/2/2016

निष्पादन लेखपत्र वाद सनने व समझने मजमुन
न्यासी

श्री दीपेन्द्र कुमार जैन
पुत्र श्री इन्द्रध्वज जैन
पेशा व्यापार
निवासी नि0 811 मौहम्मद माह निकट बडा
डाकखाना शिको0

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान विकास जैन
हरिकेश बाबू जैन
पेशा अन्य
निवासी नि0 मौ0 मीरखलील जैन स्ट्रीट शिको0
व गौरव जैन
कुमकेश कुमार जैन
पेशा अन्य
निवासी नि0 मौ0 मीरखलील जैन स्ट्रीट शिको0
ने की ।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।
दीपेन्द्र पहचान पत्र सं0 UP/72/339/435271

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुनील कुमार
उपनिबन्धक शिकोहाबाद
फिरोजाबाद

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AX 816123

4– यह कि न्यास के व्यय से सम्बन्धित समस्त बिल वाउचर एवं आमंदनी आदि का हिसाब कितव प्रमुख न्यासी/मैनेजिंग ट्रस्टी रखेगा और प्रत्येक वर्ष ऐसे सभी आय व्यय के लेखा जोखा का ऑडिट किसी सुयोग्य चार्टड एकाउन्टेट से कराकर और चार्टड एकाउन्टेट द्वारा तैयार रिपोर्ट व बैलेंस शीट आदि को समस्त न्यासियों के अवलोकनार्थ न्यास की बैठक में रखेगा।

5– न्यास की सभी आय/फन्ड आदि आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रयोग में लाये जावेगें।

यदि न्यास की स्थापना जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये की गयी है और किन्हीं कारणों से न्यास के उद्देश्य असफल हो जाते हैं तो ऐसी सूरत में न्यास की सम्पूर्ण सम्पत्तियां न्यास के प्रमुख न्यासी/मैनेजिंग ट्रस्टी में निहित हो जावेगीं।

अतः यह न्यास पत्र अपनी स्वस्थ मानसिक अवस्था में बिना किसी भय व दबाव के निष्पादित कर दिया ताकि सनद रहे व समय पर काम आवे।

Deependra Kumar Jain

रजिस्टर का क्रमांक 180 दिनांक 12-02-2016
स्टाम्प का मूल्य 50 शामिल नम्बर
क्रेता का नाम दीपेन्द्र कुमार जैन
पुत्र निवास

हरीश कुमार वर्मा
स्टाम्प विक्रेता
लाइ0 न0 07-2008-09
तहसील परिसर, शिकोहाबाद (फिरो...

न्यासी

Registration No.: 7 Year : 2,016 Book No. : 4

0101 दीपेन्द्र कुमार जैन

इन्द्रध्वज जैन

नि0 811 मौहम्मद माह निकट बडा डाकखाना शिको0

व्यापार

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AX 816124

(11)

तहरीर तारीख 15-02-2016ई0 गवाहन की शिनाख्त पर फोटो प्रमाणितकर्ता व मसौदाकर्ता- शिवनाथ अग्रवाल, एडवोकेट, तहसील शिकोहाबाद।

SW-Agl

Shiv Nath Agrawal
Advocate
TAHSIL SHIKOHABAD

न्यासियों के स्वीकृति के हस्ताक्षर

1- श्रीमती नेहा जैन

नेहा जैन

नेहा जैन

2- इन्द्रध्वज जैन

Indra Dhwaj Jain

Indra Dhwaj Jain

3- योगेश कुमार जैन

Yogesh Kumar Jain

Yogesh Kumar Jain

Deependra Kumar Jain

रजिस्टर का क्रमांक 181 दिनांक 12-02-2016
स्टाम्प का मूल्य 50 शामिल नम्बर 171
क्रेता का नाम दीपिक कुमार जैन
कुल कीमत 12 750

हरीश कुमार वर्मा
स्टाम्प विक्रेता
ला० नं० 07-2008-09
तहसील परिसर, शिकोहाबाद (फिरोजाबाद)

गवाह

Registration No.: 7 Year : 2016 Book No. : 4

W1 विकास जैन

हरिकेश बाबू जैन

नि0 मौ0 मीरखलील जैन स्ट्रीट शिको0

अन्य

W2 गौरव जैन

कुमकेश कुमार जैन

नि0 मौ0 मीरखलील जैन स्ट्रीट शिको0

अन्य

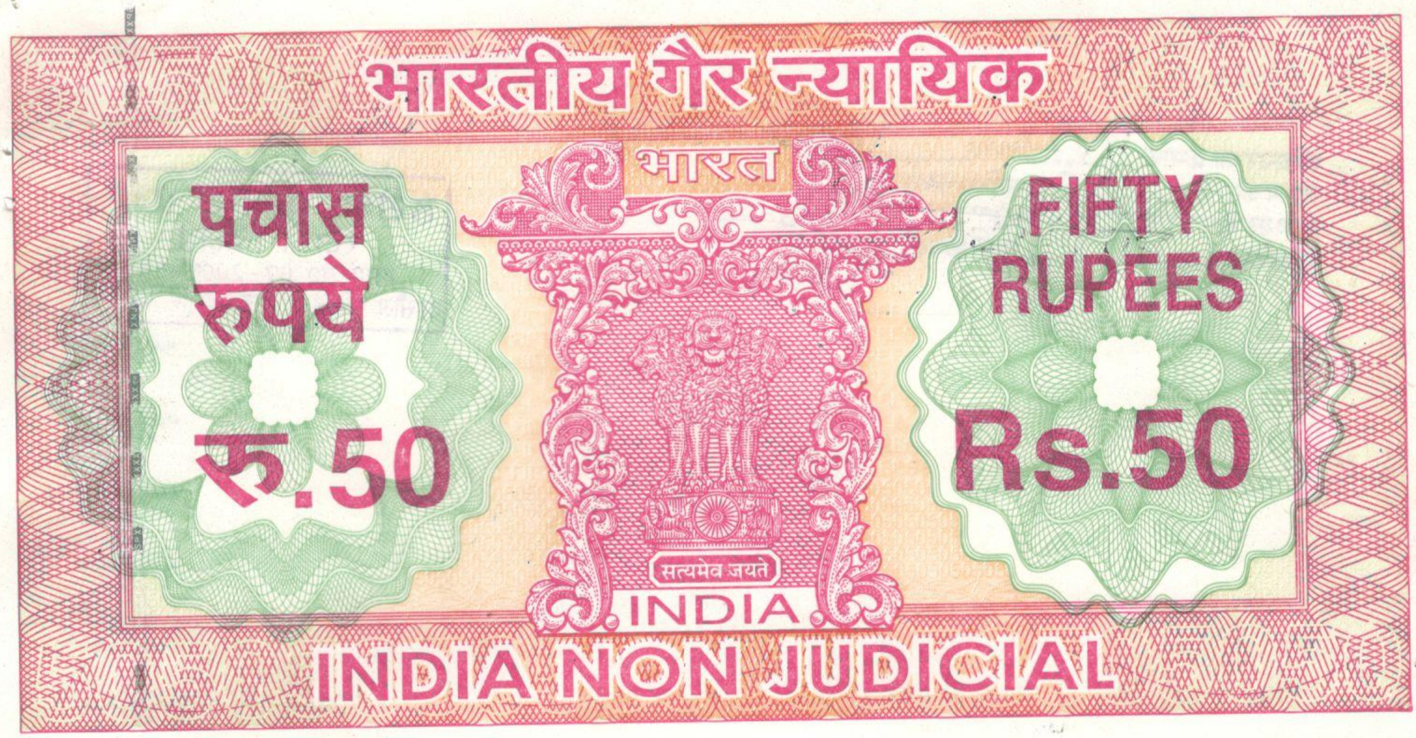

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AX 816125

(12)

साक्षी– विकास जैन पुत्र श्री हरिकेश बाबू जैन
निवासी– मुहल्ला मीरखलील (जैन स्ट्रीट)
शिकोहाबाद (फिरोजाबाद)
आधार नं0– 216526428694
मो0नं0– 9634847583

साक्षी– गौरव जैन पुत्र श्री कुमकेश कुमार जैन
निवासी– मुहल्ला मीरखलील (जैन स्ट्रीट)
शिकोहाबाद (फिरोजाबाद)
आधार नं0– 583286083515
मो0नं0– 8923655826

GauravJain

Deependra Kumar Jain

रजिस्टर का क्रमांक 102 दिनांक 12-02-2016
स्टाम्प का मूल्य 50
क्रेता का नाम
कुल बिक्री
12 750

हरीश कुमार वर्मा
स्टाम्प विक्रेता
ला0 न0 07-2008-09
तहसील परिसर, शिकोहाबाद (फिरोजाबाद)

INDIA NON JUDICIAL

आज दिनांक **16/02/2016** को

वही सं. **4** जिल्द सं. **28**

पृष्ठ सं. **41** से **64** पर कमांक **7**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुनील कुमार
उपनिबन्धक शिकोहाबाद
फिरोजाबाद
16/2/2016